नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

65, पानदरीबा, लखनऊ

पत्रॉक :– IV/अभि0(6–रुद्रपुर)/एनएससी–लखनऊ/10–11 दिनांक :– 17.07.2010

निविदा सूचना

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक संस्थान) को उत्तराचंल राज्य में रुद्रपुर शहर की 15 किमी0 परिधि में निम्नलिखित माप/क्षमता के गोदाम, बीज विधायन संयत्र शेड एवं कार्यालय परिसर की किराये पर लेने हेतु आवश्यकता है ।

1– बीज गोदाम (कम से कम 5 मीटर ऊँचा)	25,000 से 30,000 वर्ग फिट
2– बीज विधायन संयत्र शेड (कम से कम 6 मीटर ऊँचा	लगभग 4,000 स्कावयर फिट
3– कार्यालय	लगभग 800 वर्ग फुट

परिसर बाढमुक्त क्षेत्र में होना चाहिए व सडक व पब्लिक ट्रान्सपोर्ट से जुडा होना चाहिए ।

इच्छुक निविदादाता अपनी निविदा 09/08/2010 को 17.30 बजे तक दो लिफाफो में टेक्निकल विड जिसमें नक्शा व माप, आयकर पैन नम्बर तथा स्वामित्व का साक्ष्य हो व दूसरे लिफाफे में कामर्शियल विड जिसमें दर प्रतिमाह व दोनो लिफाफो को एक लिफाफे में जिस पर परिसर के वास्ते निविदा लिखते हुए क्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी, स्टेट बैंक आफ इन्डिया के सामने, रुद्रपुर को प्रेषित करें । निविदा दिनांक 10/08/2010 को 11.00 बजे खोली जायेगी । निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है ।

यह सूचना हमारी बेबसाईट www.indiaseeds.com पर भी उपलब्ध है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

65, पानदरीबा, लखनऊ

नियम एवं शर्ते

1– विधायन संयत्र शेड व बीज गोदाम की (Plinth) प्लिन्थ (सडक से उॅचाई) कम से कम 2.5 फिट होनी चाहिए व वर्षा जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ।

2– गोदाम, संयत्र शेड व कार्यालय भवन की दशा अच्छी/उपयोग हेतु होनी चाहिए ।

3– परिसर में संयत्र गोदाम व कार्यालय के लिए समुचित लोड का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। बिजली बिल का भुगतान किराये पर लेने की तिथि से निगम वहन करेगा ।

4– पानी आदि की व्यवस्था परिसर मालिक की होगी तथा इस सम्बन्ध में कोई कर/शुल्क देय नही होगा ।

5– परिसर के बाहर व अन्दर गोदाम व संयत्र से माल लाने, ले जाने हेतु ट्रको के आने जाने व घुमाने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा परिसर के अन्दर की जगह/सडक इस तरह की होना चाहिए कि भारी ट्रक के वजन से धसे नही ।

6– गोदाम व संयत्र का भवन सीलन रहित तथा कार्यालय भवन उपयुक्त हवा व धूप सहित होना चाहिए तथा परिसर भवन में प्रवेश/निकास हेतु व्यवस्था पूर्णरुपेण अलग होनी चाहिए ।

7– परिसर फिलहाल माह अक्टूबर–2010 से लगभग 3(तीन) वर्ष के लिए किराये पर लिया जायेगा। इसके उपरान्त दोनो पक्षो की सहमति पर किराये की अवधि बढाई जा सकेगी ।

8– अन्य शर्ते किराये पर परिसर लेने से पूर्व आपसी सहमति से तय की जायेगी ।

9– निविदादाता केन्द्रीय आबकारी विभाग से सेवाकर पंजीकृत होना चाहिए तथा पैन कार्ड धारक होना चाहिए ।

10– प्लान्ट तथा गोदाम के किराये भुगतान से नियमानुसार 194–आई के अन्तर्गत आयकर की कटौती की जायेगी ।

11– गोदाम तथा प्लान्ट पर राज्य सरकार/भारत सरकार का यदि कोई कर बनता है तो वह भवन मालिक को देना होगा ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक